[2021] 4 एस सी आर 275

VIIT फार्मेसी कॉलेज और एक और

वी.

डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय और

एक और

(2021 की लिखित याचिका (सी) No.390)

15 अप्रैल, 2021

[आर. एफ. नरीमन, बी. आर. गवई और हृषिकेश रॉय, जे. जे.]

शिक्षा/शैक्षणिक संस्थानः फार्मेसी कॉलेज

उत्तरदाता नं. 1 - विश्वविद्यालय ने वर्ष 2020-2021 के लिए संबद्धता प्रदान करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए-याचिकाकर्ताओं को भारतीय फार्मेसी परिषद (PCI) द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 के लिए प्रथम वर्ष B.Pharma पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए मंजूरी दी गई-- इस बीच, राज्य सरकार ने प्रति जिले केवल दो कॉलेजों की संख्या को सीमित करने के लिए दिनांकित 15.05.2020 नीति बनाई। उक्त नीति को याचिकाओं के समूह में चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने नीति को केवल उन याचिकाकर्ताओं के रूप में अलग कर दिया था जिन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था-क्योंकि प्रतिवादी नं। 1 - विश्वविद्यालय ने याचिकाकर्ताओं को संबद्धता देने से इनकार कर दिया और अपने छात्रों को प्रथम वर्ष B.Pharma परीक्षा से पहले उपस्थित होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी नं. 1 - विश्वविद्यालय शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 के लिए याचिकाकर्ता कॉलेजों को B.Pharma पाठ्यक्रम के लिए संबद्धता प्रदान करेगा, जिसमें दिनांक 19.03.2021 की अधिसूचना को देखते हुए शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 के लिए B.Pharma छात्रों के लिए विशेष परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया जाएगा। निर्विवाद रूप से, तत्काल मामले में, पी. सी. आई. ने याचिकाकर्ताओं को दिनांक 10.04.2020 के आदेश द्वारा मंजूरी दे दी थी।

क्रमशः 100 और 60 प्रवेश/छात्रों की प्रवेश क्षमता-इतना ही नहीं, राज्य सरकार के दिनांक 15.05.2020 के नीतिगत निर्णय को चुनौती देने वाली याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिकाओं को उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 9.11.2020 के फैसले और आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी, निर्विवाद रूप से, राज्य सरकार ने भी दिनांक 19.03.2021 की अधिसूचना द्वारा, विचार करने के बाद सशर्त संबद्धता प्रदान की थी। संबद्धता समिति द्वारा की गई सिफारिशें-मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में और विशेष रूप से, चूंकि याचिकाकर्ताओं द्वारा हलफनामे पर किए गए कथन, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विवादित नहीं थे-विश्वविद्यालय, याचिका की अनुमति है-प्रतिवादी संख्या 1-विश्वविद्यालय को संबद्धता प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है

275 VIIT फार्मेसी कॉलेज और एक और v. डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय

शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए याचिकाकर्ता महाविद्यालय और दिनांकित अधिसूचना को देखते हुए प्रतिवादी संख्या 1-विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए आयोजित की जाने वाली विशेष परीक्षाओं में भाग लेने के लिए याचिकाकर्ता महाविद्यालयों के छात्रों को भी अनुमति दें।

19.03.2021 .

फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम डॉ. एस. के. तोशीवाल

शैक्षिक न्यास विदर्भ फार्मेसी संस्थान और

अन्य आदि। 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 296-पर निर्भर

मामला कानून संदर्भ

2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 296 ने भरोसा किया

पैरा 3

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः लेखन याचिका (सी) सं. 390

2021 से।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत) सिद्धार्थ दवे, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अजीत शर्मा, अनंत राम मिश्रा,

अभिषेक राणा, सुशील सिंह, अधिवक्ता। याचिकाकर्ताओं के लिए।

अमितेश कुमार, सुश्री बिनिसा मोहंती, सुश्री प्रीति कुमारी, मृत्युंजय

कुमार सिन्हा, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का आदेश पारित किया गया था

बी. आर. गवई, जे. याचिकाकर्ताओं ने इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है जिसमें निर्देश की मांग की गई है

प्रतिवादी नंबर 1-डॉ। ए. पी. जे. अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय (इसके बाद 'विश्वविद्यालय' के रूप में संदर्भित) शैक्षणिक वर्ष के लिए याचिकाकर्ता कॉलेजों को बी. फार्मा पाठ्यक्रम के लिए संबद्धता प्रदान करने के लिए प्रतिवादी संख्या 1-विश्वविद्यालय को विशेष आयोजन करने के निर्देश के साथ

19 मार्च 2021 की अधिसूचना को देखते हुए शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए बी. फार्मा छात्रों के लिए परीक्षाएँ।

2. संक्षिप्त में याचिका को जन्म देने वाले तथ्य इस प्रकार हैं: 28 जनवरी 2020 को, प्रतिवादी नंबर 1-विश्वविद्यालय ने आमंत्रित किया

वर्ष 2020-21 के लिए संबद्धता प्रदान करने के लिए आवेदन। इसके जवाब में, याचिकाकर्ताओं ने फरवरी 2020 के महीने में वर्ष 2020-21 के लिए बी. फार्मा पाठ्यक्रम के लिए संबद्धता की मांग करते हुए आवेदन जमा किए। यह ध्यान देने योग्य है कि भारतीय फार्मेसी परिषद (इसके बाद 'पीसीआई' के रूप में संदर्भित) ने याचिकाकर्ता संख्या 1-VIIT फार्मेसी कॉलेज को 10 अप्रैल 2020 के आदेश के माध्यम से पहले (2021) 4 एस. सी. आर. के संचालन के लिए अपनी मंजूरी दे दी।

100 प्रवेश/छात्रों की प्रवेश क्षमता के साथ शैक्षणिक वर्ष के लिए वर्ष बी. फार्मा पाठ्यक्रम। जहां तक याचिकाकर्ता संख्या 2-आर. वी. इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी का संबंध है, 60 प्रवेश/छात्रों की प्रवेश क्षमता के साथ भी इसी तरह की मंजूरी दी गई थी। यह परीक्षा प्राधिकरण और राज्य सरकार के एन. ओ. सी. की संबद्धता की सहमति प्रस्तुत करने के अधीन था। 3. इस बीच, उत्तरदाता संख्या 2-उत्तर प्रदेश राज्य ने संख्या को सीमित करने के लिए 15 मई 2020 की नीति बनाई।

प्रति जिले केवल दो फार्मेसी कॉलेज। उक्त नीति को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कई याचिकाओं में चुनौती दी गई थी।

शैक्षिक न्यास विदर्भ फार्मेसी संस्थान और अन्य आदि. 15 मई 2020 की नीति को केवल उन याचिकाकर्ताओं के लिए अलग कर दें जिन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। याचिकाकर्ता संस्थानों को शैक्षणिक वर्ष के लिए बैचलर ऑफ फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित की जा रही परामर्श में भाग लेने की अनुमति दी गई थी

2020-21 .

4. याचिकाकर्ता संख्या 1 ने 2 नवंबर 2020 के उच्च न्यायालय के आदेश पर भरोसा करते हुए, विविध होने के कारण रिट याचिका भी दायर की। एकल नं.

19510 इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष 2020 का। उक्त याचिका को भी अनुमति दी गई और उसमें याचिकाकर्ता के संबंध में 15 मई 2020 की नीति को अलग कर दिया गया और प्रतिवादियों को निर्देश दिया गया कि कानून के अनुसार संबद्धता के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन पर निर्णय लें। इसी तरह की एक याचिका विविध है। 2020 की एकल संख्या 19509 याचिकाकर्ता संख्या 2 द्वारा दायर की गई थी जिसे भी इसी तरह की शर्तों पर अनुमति दी गई थी। इसी तरह, एक एस. डी. कॉलेज ऑफ साइंसेज ने भी विविध होने के कारण एक रिट याचिका दायर की थी। 2020 की एकल संख्या 19568 जिसकी इसी तरह अनुमति दी गई थी। उपरोक्त तीनों याचिकाओं को उच्च न्यायालय द्वारा 9 नवंबर 2020 के आदेश के माध्यम से स्वीकार कर लिया गया था।

5. हालांकि, प्रत्यर्थी संख्या 1-विश्वविद्यालय ने 7 दिसंबर 2020 के विवादित आदेश के माध्यम से एस. डी. कॉलेज ऑफ इंडिया के आवेदन को खारिज कर दिया।

संबद्धता के अनुदान के लिए विज्ञान। इसके बाद वर्तमान याचिकाकर्ताओं ने एक अन्य संस्थान के साथ मिलकर 2020 की रिट याचिका (सी) संख्या 1468 दायर की

1 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 296 VIIT फार्मेसी कॉलेज और एक और वी. डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय [बी. आर. गवई, जे.]

दिसंबर 2020 के महीने में इस न्यायालय के समक्ष। इस न्यायालय ने 12 जनवरी 2021 के आदेश के माध्यम से प्रत्यर्थी संख्या 1-विश्वविद्यालय द्वारा पारित 7 दिसंबर 2020 के आदेश के संचालन पर रोक लगा दी और उक्त याचिका को रक्षपाल बहादुर फार्मेसी संस्थान द्वारा दायर 2020 की रिट याचिका (सी) संख्या 1430 के साथ टैग किया।

6. याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि मार्च 2021 में याचिकाकर्ता कॉलेजों के छात्रों को परीक्षा में आमंत्रित किया गया था

केंद्र, उन्हें अंतिम समय में परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। याचिकाकर्ताओं का यह भी तर्क है कि इस न्यायालय द्वारा 2020 की रिट याचिका (सी) संख्या 1433 में 2021 के आई. ए. No.33272 में पारित 5 मार्च 2021 के आदेश को देखते हुए, एक जी कॉलेज ऑफ फार्मेसी के छात्रों को परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी गई थी।

7. इस बीच, 19 मार्च 2021 के आदेश के माध्यम से, राज्य सरकार, द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने के बाद संबद्धता समिति ने 2020 की रिट याचिका (सी) संख्या 12536 में पारित उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बी. फार्मा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए सशर्त संबद्धता प्रदान की है।

8. चूंकि प्रतिवादी संख्या 1-विश्वविद्यालय ने याचिकाकर्ताओं को संबद्धता देने से इनकार कर दिया है और अपने छात्रों को आवेदन करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।

प्रथम वर्ष बी. फार्मा परीक्षा, याचिकाकर्ताओं ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

9. डॉ. एस. के. तोशीवाल एजुकेशनल ट्रस्ट्स विदर्भ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया हैः

" 87. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, यह माना जाता है कि फार्मेसी शिक्षा और अधिक के क्षेत्र में

विशेष रूप से जहाँ तक फार्मेसी शिक्षा की डिग्री और डिप्लोमा की मान्यता का संबंध है, फार्मेसी अधिनियम, 1948 प्रबल होगा। पी. सी. आई. द्वारा निर्धारित मानदंड और विनियम और

फार्मेसी अधिनियम के तहत अन्य निर्दिष्ट प्राधिकरण

फार्मेसी में डिग्री और डिप्लोमा के लिए शिक्षा प्रदान करने वाले संबंधित संस्थानों को छात्रों की प्रवेश क्षमता में वृद्धि और/या कमी के संबंध में मानदंडों और विनियमों सहित पालन करना होगा और पीसीआई के निर्णयों का पालन केवल फार्मेसी में डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करने वाले संस्थानों द्वारा किया जाएगा। सवाल ये हैं -

तदनुसार उत्तर दिया। "[2021] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

10. निर्विवाद रूप से, वर्तमान मामले में, पी. सी. आई. ने दोनों याचिकाकर्ताओं को 10 अप्रैल 2020 के आदेश के माध्यम से मंजूरी दे दी है।

क्रमशः 100 और 60 प्रवेश/छात्रों की क्षमता। इतना ही नहीं, राज्य सरकार के 15 मई 2020 के नीतिगत फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिकाओं को उच्च न्यायालय द्वारा 9 नवंबर 2020 के फैसले और आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई है। निर्विवाद रूप से, राज्य सरकार ने 19 मार्च 2021 की अधिसूचना के माध्यम से भी संबद्धता समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने के बाद सशर्त संबद्धता प्रदान की है। विशिष्ट तथ्यों में और मामले की परिस्थितियों और विशेष रूप से, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ताओं द्वारा हलफनामे पर किए गए अभिकथन नहीं हैं

प्रत्यर्थी संख्या 1-विश्वविद्यालय द्वारा विवादित, हम पाते हैं कि याचिका को अनुमति दी जानी चाहिए।

11. इसलिए प्रत्यर्थी संख्या 1-विश्वविद्यालय को शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए याचिकाकर्ता कॉलेजों को संबद्धता देने का निर्देश दिया जाता है और

याचिकाकर्ता कॉलेजों के छात्रों को 19 मार्च 2021 की अधिसूचना को देखते हुए प्रतिवादी संख्या 1-विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक वर्ष के लिए आयोजित की जाने वाली विशेष परीक्षाओं में भाग लेने की भी अनुमति दें।

12. याचिका की अनुमति उपरोक्त शर्तों में दी गई है।

देविका गुजराल

याचिका की अनुमति दी गई।